



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223159
CG-DL-E-18112020-223159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593]
No. 593]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 724 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, वरिष्ठ रेडियोग्राफर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ रेडियोग्राफर	1 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो : आवश्यक: (क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी- इमेजिंग तकनीक या मेडिकल इमेजिंग तकनीक में डिप्लोमा; (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोग्राफी के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । या (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या रेडियो-इमेजिंग तकनीक या मेडिकल इमेजिंग तकनीक में स्नातक की डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोग्राफी के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: बाहरी अभ्यर्थियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपए) में विभागीय रेडियोग्राफर, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और जो प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए निहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति हेतु उनके चयन होने पर पद को प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा ।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फ़ा. सं. ए.12018/75/2017- एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 724(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Radiographer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Senior Radiographer (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2020. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Radiographer.	1* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By deputation (including short term contract) or promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) or promotion: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or recognised Universities or recognized research Institutes or autonomous or statutory organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 - 92300/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (a) (i) Diploma in Radiography or Radiology-Imaging Technology and Medical Imaging Technology from a recognised University or Institute; (ii) two years experience in the field of radiography in a recognised hospital or health centre. OR (b) (i) Bachelor degree in Radiography or Radio-Imaging Technology and Medical Imaging Technology from a recognised University or Institute; (ii) one year experience in the field of radiography in a recognised hospital or health centre. Note 1: The departmental Radiographer in level 5 (Rs. 29200 - 92300/-) in the pay matrix with six years of regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Director General, Directorate General of Health Services – Chairman; 2. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member; 3. Director (Medical Education), Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

prescribed for deputation, will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. A.12018/75/2017-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser